# भजनलाल सरकार लगाएगी 16 से 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर

## अधिकाधिक शिकायतों का निस्तारण करें, प्रकरण निरस्त करने पर देना पड़ेगा स्पष्टीकरण : देवाशीष पृष्टि

**जयपुर (कासं)।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में 16 से 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर लगाए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इन आठ दिवसीय शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए है।

इनकी तैयारियों के लिए शनिवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से प्रदेशभर के अधिकारियों से चर्चा की। पृष्टि ने शिविरों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग तथा जनसुविधाओं को सुचारु रूप से सुनिश्चित करने संबंधी सभी बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही शहरी सेवा शिविर में किए गए कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

देबाशीष पृष्टि ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशानुसार शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 का आयोजन राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय और प्राधिकरण पर अनिवार्य रूप से किया जाए। जहां लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्राप्त होने वाले सभी नए आवेदनों का निस्तारण शिविर स्थल पर ही उसी दिन किया जाना सुनिश्चित करें। अगर किसी प्रकरण को रिजेक्ट किया जाएगा तो उसके संबंध में सपष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होगा। पृष्टि ने सभी नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरण को अपने क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उस क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं को दूर करने के भी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि इन शिविरों में शहरी सेवा शिविर-2025 के तहत दी गई सभी छूट एवं शिथिलताएँ यथावत लागू रहेंगी।

यूडीएच प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने शनिवार को अधिकारियों की बैठक लेकर शहरी समस्या समाधान शिविर के बारे में चर्चा की।

- **इन शिविरों में शहरी सेवा शिविर-2025 के तहत दी गई सभी छूट एवं शिथिलताएँ यथावत लागू रहेंगी**
- **राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय और प्राधिकरण पर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा शिविर**

पृष्टि ने बताया की प्रमुख एवं फॉलो अप शिविर में पट्टों से संबंधित प्रकरणों में 39 हजार 800 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था इसी के साथ ही अन्य भूमि से संबंधित प्रकरणों में 20 हजार 888 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। जिनमें नाम हस्तान्तरण के 10 हजार 30 प्रकरण, यू.डी. टैक्स के 3 हजार 987 प्रकरण, भवन मानचित्र के 3 हजार 554 प्रकरण, भूखण्डों के उप विभाजन/पुर्नगठन के 1 हजार 753 प्रकरण, निर्माण अवधि विस्तार के 776 प्रकरण, नगरीय विकास/आवासन मण्डल द्वारा ब्याज छूट देकर की गई वसूली के 365 प्रकरण तथा भू-उपयोग परिवर्तन के 423 प्रकरणों स्वीकृत किया गया तथा घर-घर कचरा संग्रहण के 43 हजार 269 प्रकरणों का भी निस्तारण एवं व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के 4 हजार 977 आवेदनो का अनुमोदन कर प्रथम किश्त जारी करने के प्रकरण शामिल है।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक जुईकर, अतिरिक्त निदेशक सीमा सहित सभी नगरीय निकायों और नगरीय विकास न्यास के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

# 'अल्बर्ट हॉल क्यों, डोटासरा के पास तथ्य हैं तो विधानसभा में करें बहस'

## भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा को जवाब दिया

**जयपुर (कासं)।** भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा शुक्रवार को दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा के पास यदि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से तुलना करने लायक तथ्य हैं, तो वे अल्बर्ट हॉल की बजाय विधानसभा में बहस करें। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे विधानसभा सत्र के दौरान एक पूरा दिन कांग्रेस के 5 साल और भाजपा शासन के 2 वर्ष के कार्यकाल पर बहस करवाएं।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और अन्य नेता झूठ का पुलिंदा लिए घूमते हैं। जिन लोगों ने राज्य की जनता के अमूल्य 5 वर्ष आपसी फूट और लडाई में बर्बाद कर दिए, वे आज जनता के लिए बेहतरीन काम कर रही सरकार के खिलाफ झूठी बातें परोस रहे हैं और विधानसभा में बहस करने से भाग रहे हैं।

- **मदन राठौड़ ने कहा कि, " डोटासरा के पास यदि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से तुलना करने लायक तथ्य हैं, तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे विधानसभा सत्र के दौरान एक पूरा दिन कांग्रेस के 5 साल और भाजपा शासन के 2 वर्ष के कार्यकाल पर बहस करवाएं।"**

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में इन 2 वर्षों में राज्य की जनता के लिए भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। चाहे पानी के लिए महतवपूर्ण समझौते करना हो, ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना हो, युवाओं को रोजगार देना हो, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कार्य कराना हो-सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस राज में राजस्थान जिस बदहाली के दौर से गुजर रहा था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपरलीक, महिला अत्याचार, साम्प्रदायिक दंगे और साइबर अपराध जैसे मामलों में राजस्थान देश में नम्बर 1 राज्य बन गया था। आज भाजपा की सरकार में राजस्थान की जनता को कांग्रेस के काले कारनामों से छुटकारा मिला है। भाजपा सरकार ने सभी मामलों में प्रभावी कार्रवाई कर दोषी लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। इन सभी विषयों पर प्रभावी कार्यक्रम-नीति बनाकर सभी वर्गों को राहत देने का काम इस सरकार ने किया और इन क्षेत्रों में 2 वर्ष के कालखंड में ही उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

# 'प्रदेश का विकास गहलोत को पच नहीं रहा'

**जयपुर।** गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गलत तथ्यों पर आधारित बयान जारी कर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है।

गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि दो वर्षों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकास हुआ है। यह विकास पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पच नहीं रहा है।गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनसीआरबी के आंकडे नहीं देखे हैं। क्योंकि इनके राज में प्रदेश में जंगलराज था और हमारी सरकार के दो वर्षों में सभी प्रकार के अपराधों में लगभग 13 प्रतिशत की कमी आई है।


## खोया पाया

मेरे आवास संख्या 114/47 मानसरोवर जयपुर का कब्जा पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। दया शंकर शर्मा मो. 9829615738

आवास संख्या 50/108 मानसरोवर जयपुर का मूल आवंटन पत्र कब्जा पत्र व नाम हस्तान्तरण पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। संगीता तिवारी मो. 9783643281

भूखण्ड संख्या ए-103, केदार विहार योजना का आवंटन पत्र कहीं खो गया है मिलने पर सम्पर्क करें। मोबाइल नम्बर 8306948306

## नाम परिवर्तन

मैं कुंजुमोन पिता आर्मी नंबर 15715726Y रैंक SIGMN अंशद के निवासी अनस निवास रामंचिरा, वल्लीकुन्नम, कडुविनाल, पोस्ट ऑफिस-अलपुझा, केरल, ने भविष्य के लिए अपने बेटे के सर्विस रिकॉर्ड में अपना नाम यू. कुंजुमोन से बदलकर कुंजुमोन कर लिया है।

मैं जगदीश मीणा पुत्र गणपत मीणा निवासी गुढा सहायपुरा तह. मौजमाबाद, मेरे पौत्र का नाम स्कूल की अंकतालिका में हैप्पी सिंह मीणा गलती से हो गया। आधार कार्ड में हैप्पी मीणा पुत्र गोपाल लाल मीणा है, को हैप्पी मीणा के नाम से जाना जावें।

मैं शैली मोदी भार्गव पत्नी श्री डॉ. रोहन भार्गव, निवासी 140 हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड, टोंक रोड, बजाज नगर, जयपुर-302015 मैंने अपना नाम शैली चिराग मोदी से बदलकर शैली मोदी भार्गव रख लिया है। अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना और पहचाना जाए।

मैंने अपना नाम घनश्याम दास से बदलकर घनश्याम नोवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम घनश्याम नोवाल पुत्र श्री गोरधन दास माहेश्वरी के नाम से जाना पहचाना जावें। निवासी सी-3, नियर मेंटल हास्पीटल, सिन्धी कॉलोनी, आदर्श नगर, राजापार्क, जयपुर, राज.।

I army no 1247580L Ex Hav Girdhari Singh resident of ward no 05 Loharwara teh. chomu jaipur that I want to change my spouse name From RATTAN KAWAR To RATAN KANWAR vide affidavit dated 24.11.2025 before sub divisional magistrate chomu jaipur.

I Priya Lalwani W/o Ishwar Kumar Lalwani residing at Flat No. 13/2-D, Rail Vihar-1, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan-302039. I have Changed my name from Priya Ishwar Lalwani to Priya Lalwani. In future I will be known by my changed name.

**राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर**
क्रमांक: 8978 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 09.12.2025
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 86/125 (HIG), (एरिया 191.70 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री अशोक कुमार तिवारी पुत्र श्री कैलाश नाथ तिवारी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 3964 दिनांक 19.07.1993 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 5646 दिनांक 12.02.1993 को जारी किया गया। डॉ प्रहलाद राय पुत्र श्री रामपाल बैरवा के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1406 दिनांक 20.09.2000 के द्वारा किया गया। डॉ प्रहलाद राय के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 27.09.2021 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। डॉ प्रहलाद राय द्वारा उक्त आवास को दिनांक 15.12.2001 के द्वारा श्री श्यामानन्द झाँ पुत्र श्री हर्षनाथ झाँ को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री श्यामानन्द झाँ के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 8642 दिनांक 20.03.2002 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री श्यामानन्द झाँ द्वारा उक्त आवास को दिनांक 10.09.2025 के द्वारा श्री अजय वालिया पुत्र श्री पवन वालिया को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/केती श्री अजय वालिया पुत्र श्री पवन वालिया द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री अजय वालिया पुत्र श्री पवन वालिया का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
**संपदा प्रबंधक, वृत्त प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर**

**नम्बर मिलाइए 9587884433**

**सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
**कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2025/144
चूंकि प्रार्थी श्री ROBIN JHIRIWAL, C-800,801 BUDH VIHAR ALWAR RAJASTHAN 301001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास GROUPNET EDUCATION AND WELFARE SOCIETY, REGISTERED ADDRESS: 262, BASNAT VIHAR, SCHEME NO 3, ALWAR WORK ADDRESS:- 12TH MILESTONE VILLAGE BALDAVBAS ALWAR -BHIWADI HIGHWAY ALWAR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.02.2026
मोहर अदालत
**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
**कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2025/153
चूंकि प्रार्थी श्री DR MANJU AGARWAL, FLAT NO B-101 ARG SOCIETY OLD STATION ALWAR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास SHRI MAHAVEER HOMEOPATHIC MEDICAL COLLEGE SAMITI ALWAR, FLAT NO B-101 ARG SOCIETY OLD STATION ALWAR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.02.2026
मोहर अदालत
**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
**कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2025/146
चूंकि प्रार्थी श्री RAJAN JHIRIWAL, C-783, BUDH VIHAR ALWAR 301001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास MAKARR EDUCATIONAL AND WELFARE SOCIETY, REGISTERED OFFICE: 3, MOTI DUNGRI ALWAR, WORK ADDRESS :-6TH MILESTONE, JHARKHEDA, SIRMOLI VILLAGE ROAD, ALWAR-BHIWADI STATE HIGHWAY, ALWAR-301028 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.02.2026
मोहर अदालत
**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
**कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2025/155
चूंकि प्रार्थी श्री DR V-K- AGARWAL, Flat No. B-101, ARG Society. Old Station Road, Alwar ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास SUNRISE HEALTH EDUCATION & RESEARCH SOCIETY ALWAR, Flat No. B-101, ARG Society, Old Station Road, Alwar के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.02.2026
मोहर अदालत
**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय**

**विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन**
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय स्थान मलसीसर,
**सम्पत सिंह वगैरह विरुद्ध भोपाल सिंह वगैरह**
दावा बावत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या 122 सन् 2024
प्रेषित-
1. भंवरी कंवर पत्नी मदनदान जाति चारण निवासी ढाणीचारण तन कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
2. मोहनी देवी पत्नी हरीदानसिंह जाति चारण निवासी ढाणी चारण तन कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
3. रूपसिंह पुत्र हरीदानसिंह जाति चारण निवासी ढाणीचारण तन कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र मदनदान जाति चारण निवासी ढाणी चारण तन कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
5. सहदेव पुत्र रामलाल जाति चारण निवासी ढाणी चारण तन कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
6. अणदी कंवर पत्नी शंकरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारण तन कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
7. पृथ्वीसिंह पुत्र शंकरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारण तन कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
8. कृष्ण कुमार पुत्र शंकरदान जाति चारण निवासी ढाणी चारण तन कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
9. सहदेव सिंह पुत्र सायलदान जाति चारण निवासी ढाणी चारण तन कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
10. देवकरण पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी ढाणी चारण तन कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
वादीगण सम्पत सिंह ने आपके विरूद्ध दावा बाबत घोषणा विभाजन रिकार्ड दुरस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा के लिये के लिये संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 28.01.2026 को दिन के 10:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं, पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हों या न हों, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सुची में प्रविष्टी करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज तारीख 03.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर न्यायालय
आज्ञा से
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
**कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**
मुकदमा नम्बर 170/2025
**(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)**
चूंकि श्री अमित चौधरी पुत्र धर्मपाल चौधरी निवासी सी 194, हसन खां मेवाती नगर, अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत ऑल इण्डिया आर्य समाजीज सोसायटी फॉर एडवांस एजुकेशन एंड रिसर्च, 6 माइल स्टोन, ग्राम झारखेडा, तिजारा-देहली हाइवे, सिरमोली रोड, अलवर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 12.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.02.2026
मोहर अदालत
**सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
**कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2025/156
चूंकि प्रार्थी श्री DR V-K- AGARWAL, Flat No. B-101, ARG Society, Old Station Road, Alwar ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास All India Society for Advance Education & Research, North Extension, M.I.A., Alwar, North Extension, M.I.A.. Alwar के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.02.2026
मोहर अदालत
**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय**

**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस**
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**
मुकदमा नम्बर 154/2025
चूंकि श्री चिरंजीलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री भगवान दत्त शर्मा निवासी हाउस नम्बर 998/7, गली नम्बर 1, जैन, बाग कॉलोनी, सोनीपत, हरियाणा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी रघुनाथ जी ट्रस्ट ग्राम माण्डासी तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनू के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 10-11-25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 21-1-2026
**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम**


# कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांक/शहरी सेवा शिविर/न.नि.भ./2025-26/ दिनांक :-

## आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम भरतपुर शहरी क्षेत्र में निम्न आवेदकों द्वारा स्टेट ग्राण्ट एक्ट/नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए के तहत/कच्ची बस्ती/स्टेट ग्राण्ट का पट्टा चाहने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर पत्रावलियाँ प्राप्त हुई हैं। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य प्रस्तुत करें। बाद अवधि के किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा बाद समस्त जाँच के आवेदक को स्टेट ग्राण्ट एक्ट/नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए के तहत/कच्ची बस्ती के तहत पट्टा जारी किये जाने की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

| क्र. स. | ऑनलाईन पत्रावली सं. | आवेदक का नाम | पति/पत्नि का नाम | वार्ड नं. | भूखण्ड जहां स्थित है | आवेदन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323248 | मुकेश चंद | आनन्द स्वरूप | | वासन गेट भरतपुर | स्टेट ग्राण्ट |
| 2 | 323252 | घनश्याम दास | रामदास | 13 | विजय नगर बरसो का नगला भरतपुर | स्टेट ग्राण्ट |
| 3 | 293070 | पवन पाल सिंह | घनश्याम सिंह | 32 | ठाकुर पायसा, बिजलीघर के पास, भरतपुर | स्टेट ग्राण्ट |
| 4 | 236897 | रामवती | धर्मसिंह | 58 | नगला तूफानी भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 5 | 246342 | विक्रमसिंह | कानसिंह | 25 | कमला रोड नमक कटरा भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 6 | 263657 | जसवन्त सिंह | करन सिंह | 58 | नगला तूफानी भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 7 | 266451 | उर्मिला देवी | फूलसिंह | 42 | रैगर मौहल्ला बीनारायण गेट भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 8 | 268761 | शकीला | अयूब खांन | 27 | मछली मौहल्ला भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 9 | 275568 | छीतर सिंह | होतीराम जाटव | 45 | सोगरिया मौ0 बीनारायण गेट भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 10 | 295446 | थान सिंह | जयकिशन | 58 | नगला तूफानी भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 11 | 295494 | मोहन सिह | धर्मसिंह | 58 | नगला तूफानी भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 12 | 295870 | हीरा देवी | सुमरन दास | 65 | गोकुल नगर कच्ची बस्ती भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 13 | 297192 | वीरवती | हरीशंकर | 45 | राजेन्द्र नगर सत्संग भवन के सामने भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 14 | 298131 | विजय | सुरजन | 65 | गोकुल नगर कच्ची बस्ती भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 15 | 298141 | राजू | बच्चूसिंह | 65 | गोकुल नगर कच्ची बस्ती भरतपुर | कच्ची बस्ती |
| 16 | 298155 | ओमवती | जगन्नाथ | 65 | गोकुल नगर कच्ची